समाहरणालय, कटिहार।
(जिला कल्याण शाखा)

(93)

अल्पकालीन निविदा संख्या–..01..../2018–19

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा कटिहार जिला अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में अध्ययनरत/आवासित छात्र/छात्राओं के उपयोग हेतु विभागीय आदेशानुसार दिये जाने वाले सामग्रियों का क्रय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 निविदा आमंत्रित की जाती है।

सामग्रियों की आपूर्त्ति हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से एतद सीलबंद निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि से ..11-02-19....तक जिला कल्याण कार्यालय, कटिहार में आमंत्रित की जाती है। निविदा 11.00 बजे पूर्वा0 से 05.00 अप0 तक प्रत्येक कार्य दिवस में प्राप्त किया जायेगा। निविदा दिनांक .12/2/19........के 04.00 बजे अपराहन् उप विकास आयुक्त, कटिहार के कार्यालय वेश्म में क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जाएगी। निविदादाता स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते है। निविदा की विस्तृत जानकारी कटिहार जिला के वेबसाईट–www.katihar.nic.in पर देखा जा सकता है।

निविदा की तकनीकी शर्त्तें :–

01. तकनीकी निविदा के साथ जी0एस0टी0 का निबंधन प्रमाण–पत्र एवं अद्यतन विवरणी की प्रति, पैन नम्बर, अद्यतन आयकर विवरणी दाखिल करने का साक्ष्य एवं अनुभव प्रमाण–पत्र (कार्यादेश नहीं) संलग्न करना होगा। निविदादाता का प्रत्येक वर्ष पचीस लाख का टर्न ओवर आवश्यक है जिसके साक्ष्य के रुप में विगत तीन वर्षो का Audited Balance Sheet संलग्न करना होगा।
02. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी
03. निविदादाताओं को मो0–50,000.00 (पचास हजार) रुपये प्रति ग्रुप की दर से अलग–अलग अग्रधन की राशि बैंक ड्राप्ट के रुप में तकनीकि निविदा के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला कल्याण पदाधिकारी, कटिहार के पदनाम से विकलनीय होगा।
04. सामग्री की सूची जिला कल्याण शाखा कटिहार के नजारत से मो0–1,000.00 (एक हजार) रुपये का नाजीर रसीद प्राप्त कर जमा करने के पश्चात् प्राप्त की जा सकती है। यह राशि वापस नहीं किया जायेगा।
05. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा ग्रुप वार अलग–अलग शील्ड/मुहरबन्द लिफाफे में डालकर एक बड़ा लिफाफा में जमा करना होगा। निविदादाता किस ग्रुप अथवा ग्रुपों के लिए निविदा दे रहे है इसका स्पष्ट उल्लेख लिफाफे पर आवश्यक होगा। ग्रुप वार अलग–अलग निविदा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे रद्द समझा जायेगा।
06. निविदादाता अथवा संबंधित फर्म को इस आशय का शपथ–पत्र मूल में समर्पित करना होगा कि उन्हें किसी सरकारी विभाग द्वारा पूर्व में काली सूची में नहीं डाला गया है।

निविदा की वित्तीय शर्त्तें:–

01. वित्तीय निविदा में सभी अनुमान्य कर एवं परिवहन व्यय शामिल करते हुए सामग्री की दर स्पष्ट रुप से अंकित करना आवश्यक है। वित्तीय निविदा में कटिंग या ओभर राईटिंग मान्य नहीं होगा। अंकित दर Round Figure में होना चाहिए अन्यथा उसपर विचार नहीं किया जायेगा। अगर किसी सामग्री में छुट का प्रावधान हो तो छुट के पश्चात् आपूर्ति की जाने वाली मूल्य ही अंकित किया जाय। सामग्रियों का दर MRP. में अंकित मान्य नहीं होगा।

C:\Users\Dwo\Desktop\tender metting.doc

7/1/19

07/01/2019

02. सभी ग्रुप की सामग्रियों के लिए ग्रुपवार अलग-अलग दर वित्तीय निविदा में अंकित करना होगा।

03. निविदा निर्धारण के समय निविदादाता/प्रतिनिधि जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष सभी सामग्री के नमुना के साथ उपस्थित रहेंगे। नमूना अनिवार्य है।

04. वारण्टी युक्त/गारण्टी युक्त सामग्रियों से संबंधित सुरक्षित जमा वारण्टी/गारण्टी अवधि में आनुपातिक रुप से वापस किया जायेगा।

05. सामग्री आपूर्ति करने के उपरांत विधिवत प्राप्ति रसीद समर्पित करने के पश्चात् भुगतेय राशि का भुगतान नियमानुसार सभी करों की श्रोत पर कटौती करने उपरान्त किया जायेगा। किसी प्रकार का अग्रिम एवं परिवहन व्यय देय नहीं होगा। आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवता एवं विशिष्टता सत्यापन के पश्चात्, अनुमान्य बिक्री कर एवं आयकर तथा अन्य अनुमान्य करों की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

06. भुगतेय राशि का भुगतान किया जायेगा। किसी प्रकार का अग्रिम एवं परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

07. निविदा स्वीकृति के पश्चात् संबंधित सफल आपूर्तिकर्त्ता को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पूर्व में ही एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा, कि आपूर्ति आदेश के पन्द्रह दिनों के अन्दर स्वीकृत नमूना के अनुरुप वांछित संख्या, साईज, गुणवत्ता, मात्रा के अनुसार सामग्री की आपूर्ति निश्चित रुप से कर देगें, अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर अग्रेतर नियमानूकुल कार्रवाई की जायेगी।

08. निविदा में सफल आपूर्तिकर्ता को विद्यालयों/छात्रावासों में आवश्यक सामग्री का ऑकलन कर उपयोग होने वाली सामग्रियों का ही आदेश निर्गत किया जायेगा।

09. स्वीकृत किये गये सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने एवं आपूर्ति की गयी सामग्रियों में गुणवता तथा किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने कर आपूर्ति की गयी सामग्री अस्वीकृत करते हुए सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जायेग एवं काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई भी की जायेगी।

10. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद किसी भी परिस्थिति में निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

11. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़ कर शेष निविदादाताओं को अग्रधन राशि वापस कर दी जायेगी।

12. निविदा में अंकित सामग्री/विशिष्टि के अतिरिक्त अपने से किसी प्रकार का अन्य सामग्री/गुणवत्ता का दर अंकित नहीं करें। एक सामग्री का दर एक ही अंकित करें अन्यथा उस निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। हर स्थिति में अपने नमूना के अनुरुप सामग्री का एक ही निश्चित दर अंकित करें।

13. कोई भी निविदा या दावा कटिहार जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा।

14. सामग्री की गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्युनतम मूल्यांकित दर दी जायेगी जिसके लिए नमुना अनिवार्य होगा।

15. निर्धारित तिथि तक सफल निविदादाता द्वारा सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करने पर दूसरे L2 दर वाले निविदादाता से L1 की दर पर सामग्रियों की आपूर्ति लिया जा सकता है। इसके लिए L2 निविदादाता को अपने लिखित सहमति क्रय समिति के समक्ष देना होगा।

16. निविदा को अस्वीकृत एवं रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा। जो किसी भी समय निविदा को अस्वीकृत या रद्द कर सकते हैं।

7.1.19	07/01/2019	7/01/19	7.1.19
जिला कल्याण पदा0, कटिहार।	जिला लेखा पदा0, कटिहार।	जिला नजारत उप समा0, कटिहार।	उप विकास आयुक्त, कटिहार।